(130)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1916–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–5–15 एवं 9–6–15 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त सिरसौद, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 04/13–14/अ–70.

1– राजरूप पुत्र श्रीलाल

2– हरकंठ पुत्र श्रीलाल

3– श्रीपत पुत्र श्रीलाल

4– गजाधर पुत्र श्रीलाल

5– मनोज पुत्र रामस्वरूप

निवासीगण सिंगारपुरा

मुरार ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

लायक सिंह पुत्र हुकुम सिंह

निवासी सिंगारपुरा

मुरार ग्वालियर .....अनावेदक

श्री के0के0 चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश श्रीवास्तव,अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, सिरसौद, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–15 एवं 9–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 250 एवं 250 (क) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिंघारपुरा तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 32 रकबा 2.796 हेक्टेयर का वह भूमिस्वामी है । उक्त भूमि पर आवेदकगण द्वारा कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । नायब तहसीलदार सिरसौद, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 04/13–14/अ–70 दर्ज कर दिनांक 29–5–15 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाया जाकर आवेदकगण द्वारा 5,00,000/– रूपये का बंध पत्र निष्पादित करना आदेशित किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किये बिना विवादित आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा कब्जे की जानकारी दिनांक 28–7–14 को होना बताया गया है, जबकि संहिता के प्रावधान के अनुसार दो माह के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । यह भी कहा गया कि जानकारी के अनुसार संवत् 2035 में बटवारा हुआ है, अतः संहिता की धारा लागू नहीं होती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 32/2 रकबा 6 बीघा भगव़ान सिंह के नाम दर्ज थी, और अनावेदक द्वारा भगवान सिंह की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेकर अपना नाम दर्ज करा लिया है, इसीलिए वह इतने वर्षो तक चुप रहा । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदक भूमिस्वामी है, और आवेदकगण द्वारा उसकी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा कब्जा दिलाये जाने का आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है । अंत में तर्क

प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि जो उभयपक्ष को प्राप्त हुई है जिसमें तारीख अंकित नहीं है । यहॉ तक कि मूल प्रकरण से उक्त आदेश पत्रिका लिखी जाना भी परिलक्षित नहीं होता है । आदेश पत्रिका में नियमितता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार सिरसौद, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–15 एवं 9–6–15 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पुनः अनिवार्य रूप से एक अवसर देकर प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर